न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर, जालोर।

पीठासीन अधिकारी: श्री भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस

राजस्व आवेदनः 15/2020 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान

प्रार्थीया

मुमा पत्नी स्व. गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन पुत्र सालु खां उर्फ साले मोहम्मद जाति– सिंधि मुसलमान उम्रः 46 वर्ष निवासी– सेड़िया, तहसील– सांचोर, जिला– जालोर।

अप्रार्थीगण

1. आदन पुत्री सालु खां उर्फ साले मोहम्मद पत्नी स्व. मोहम्मद जाति– सिंधि मुसलमान, उम्रः 51 वर्ष, निवासी– सेड़िया, पुलिस थाना– करडा, तहसील– सांचोर, जिला– जालोर।
2. उप पंजियक सांचोर, जिला– जालोर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर, जिला– जालोर।

वकील प्रार्थीयाः– श्री जालाराम पूनिया।

वकील अप्रार्थीगण :– श्री इब्राहिम शाह जुनेजा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एक पक्षीय।

निर्णय दिनांकः 25.08.2020

प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 दोनों सुन्नी मुसलमान धर्म से है तथा हनफी सम्प्रदाय से शासित है तथा मुस्लिम विधि अनुसार सामाजिक व धार्मिक विधि से शासित होते है। जालोर जिले की तहसील सांचोर के ग्राम गुन्दाउ (नव सृजितग्राम सेड़िया) में मेवा पुत्र पन्ना कौम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 18:04:53 IST
Reason: SelfAttested

सिन्धी मुसलमान के नाम खातेदारी कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या – 744 रकबा 62–02 बीघा तथा खसरा संख्या – 466 रकबा 9–09 बीघा कुल 71–11 बीघा कदीमी से आई हुई है जिसके नए भूमि सर्वे में खसरा संख्या 505 रकबा 1.53 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 526 रकबा 8.76 हैक्टर कुल 10–29 हैक्टर सृजित हुए। मेवा पुत्र पन्ना प्रार्थीया मुमा के दादा ससुर थे। मेवा के फौत होने पर वक्त कृषि भूमि विरासत में उसके पुत्र साले मोहम्मद पुत्र मेवा को प्राप्त हुई। फिर साले मोहम्मद के फौत होने पर विरासत में उसके पुत्र हुसैन पुत्र सालूखां को प्राप्त हुई। सालूखां व साले मोहम्मद दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रार्थीया मुमा का निकाह हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन के साथ हुआ अर्थात प्रार्थीया गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन की विवाहिता पत्नी है। मतदाता सूची, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, गुलाम के मृत्यु प्रमाण पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थीया मुमा के पति का नाम गुलाम हुसैन दर्ज है। गुलाम हुसैन की कोई जायन्दा औलाद नही है। अप्रार्थीया संख्या एक आदन प्रार्थीया मुमा की ननद है अर्थात गुलाम हुसैन की बहिन है।

ग्राम गुन्दाऊ (नव सृजित ग्राम सेड़िया) के पुराना खसरा सख्या– 435 रकबा 64–17 बीघा अलादीन पुत्र पन्ना के नाम खातेदारी में था अलादीन के नाओलाद फौत होने पर उक्त विवरण की कृषि भूमि साले मोहम्मद पुत्र मेवा को सगा भतीज होने से प्राप्त हुई तथा साले मोहम्मद के फौत होने पर उसके पुत्र गुलाम हुसैन (प्रार्थीया का पति) को जरिए विरासत प्राप्त हुई। गुलाम हुसैन द्वारा वक्त भूमि में से कुछ भूमि हस्तांतरित करने के पश्चात शेष 16–17 बीघा भूमि खसरा सख्या 435/1 गुलाम हुसैन के नाम खातेदारी में दर्ज रही जिसके नए सर्वे में खसरा नम्बर 640 रकबा 2–70 हैक्टर सृजित हुए।

प्रार्थीया मुमा के पति गुलाम हुसैन का दिनांक 07.05.2019 को इन्तकाल (देहान्त) हो गया। अतः मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया इसके मृतक पति की उक्त विवरण की कृषि भूमि वांके सेड़िया के खसरा नम्बर 505, 526 व 640 को प्राप्त करने की कानूनी रूप से हकदार है। गुलाम हुसैन की कोई जायन्दा औलाद वर्तमान में जीवित नही है परन्तु अप्रार्थीया संख्या एक आदन ने प्रार्थीया के पति गुलाम हुसैन पर प्रभाव रखते हुए खानदानी पैतृक कृषि भूमि ग्राम सेड़िया के खसरा नम्बर 640

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2.70 हैक्टर को जरिए दानपत्र अपने नाम हस्तान्तरित करवा ली है, जिसका दस्तावेज उपपंजियक सांचोर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या–372, पृष्ठ संख्या 141 कम संख्या 2014000510 दिनांक 27.01.2014 को पंजिबद्व हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 505 व 526 का भी अप्रार्थीया संख्या एक ने अपने हक में दानपत्र उपपंजियक सांचोर के कार्यालय में दिनांक 12.10.2018 को पंजियन करवाया है। उक्त दोनों हस्तांतरण करने का अधिकार गुलाम हुसैन को प्राप्त नही था क्योंकि प्रार्थीया मुमा का मृतक हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन की जीवित पत्नी का उक्त सम्पति में मुस्लिम विधि अनुसार हिस्सा स्वतः ही बनता है परन्तु इस हक/अधिकार से प्रार्थीया मुमा को वंचित करने की नियत व आशय से विवादित दान दस्तावेज लिखे गये जो प्रार्थीया के हक–हिस्से तक अवैध व शून्य है तथा प्रार्थीया अपने हिस्से तक की कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवने की काननी रूप से हकदार है तथा दानपत्र प्रार्थीया के विरूद्व शून्य व बेअसर हैं। अतः एक दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने व तदनुसार डिक्री पारित करने हेतु न्यायालय में पेश किया गया है।

उक्त खसरा नम्बर 505, 526, 640 की भूमि पुश्तैनी होने व जरिए विरासत प्रार्थीया के पति गुलाम हुसैन को प्राप्त होने के कारण प्रार्थीया उसमें अपना कानूनी हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उसे उसके हक व हिस्से से सम्पति के मालिकीय अधिकार से वंचित नही किया जा सकता। प्रार्थीया के पति गुलाम हुसैन को सम्पूर्ण सम्पति भूमि पत्नी के जीवित होने के कारण अप्रार्थीया एक के पक्ष में दान करने का कानूनी अधिकार नही था। अतः उसके द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्सा का किया गया दान अवैध, शून्य व बेअसर है तथा प्रार्थीया के अधिकारों के विरूद्व शून्य व बेअसर है प्रार्थीया उक्त निकाह से ही उक्त विवरण की वादग्रस्त आराजी पर लगातार कानूनी रूप से काबिज काश्त है। अप्रार्थीया संख्या एक को प्रार्थीया के हिस्से की भमि पर उक्त विवादास्पद दानपत्र की आड़ में कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते तथा न ही वह अविभाजित भूमि में कब्जा प्राप्त कर सकती है। अतः प्रार्थीया अपने हिस्से तक की कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी होने से दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश किया गया है जिसमें वादीया को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।

मुस्लिम विधि में दान होता ही नही है केवल हिबा होता है जो केवल पूण्य करने के आशय से किये जाने का प्रावधान है हिबा करने के लिए किसी को हक/अधिकारों से वंचित करने का आशय नही होता है तथा जिस व्यक्ति को सम्पति में हक/अधिकार मिला व होता है उस तक के अधिकार के अलावा दान देने वाले का हिस्सा ही दान किया जा सकता है। दान करने वाले को अपने हिस्से से अधिक सम्पंति के हिस्से को दान करने का अधिकार मुस्लिम विधि में नही होता है तथा दान की घोषणा करने वाले व्यक्ति को अपने वारिसान के सामने किया जाना अर्थात दान की जानकार वारिशों को करवाई जाना नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार दान दी जाने वाली संपति का दस्तावेज लिखवाते समय दस्तावेज पर दोनों साक्षी मुस्लिम विधि से भाषिस होने वाले उसी गांव, उसी परिवार के होना जरूरी होता है। जबकि विवादित दान पत्र दिनांक 27.01.2014 व 12.10.2018 पर दोनो साक्षी मुस्लिम विधि से शासित होने वाले नही है तथा नही दान दाता के परिवार से व सेड़िया गांव के है। अतः दान पत्र. अवैध व शून्य व वादीया के विरूद्व शून्य है तथा प्रार्थीया अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है।

विवादित दोनों दान–पत्र प्रार्थीया की स्वतंत्र सहमति के बिना अप्रार्थीया के हक में प्रार्थीया के पति ने लिखवाया है तथा प्रार्थीया के पति को वादीया के हिस्से की सम्पति को जरिए दानपत्र हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीया अपना हिस्सा कानूनी रूप से प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

प्रार्थीया मुमा के पति गुलाम हुसैन का दिनांक 07.05.2019 को अचानक देहान्त हो गया तब प्रार्थीया अपने घर सेडिया में उनके पीछे 40 दिन तक सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार घर में ही रही तथा मुस्लिम विधि/रीति रिवाजों अनुसार समस्त रस्मे/धार्मिक कियाक्रम के प्रार्थीया के कोई संतान नही है। इसके बाद प्रार्थीया के पीहर पक्ष के लोग धार्मिक रीति रिवाज हेतु प्रार्थीया को लेने आये तब वह पीहर गई एवं वहां कुछ समय रहकर वापस अपने घर आई तो अप्रार्थीया सख्या एक आदन ने प्रार्थीया के साथ अच्छा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

बर्ताव नही किया तथा ताने मारने लगी कि तेरा यहां क्या है मेरा भाई संसार से चला गया है तु यहां से चली जा। तेरी यहां कोई मिल्कियत नही है तथा अप्रार्थीया आदन ने अपने आदमियों से मिलकर प्रार्थीया के साथ गैर हरकते करवाई।

वर्ष 2019 में वर्षा होने पर प्रार्थीया मुमा अपने खेत में फसल बोने के लिए पीहर से अपने घर आई तथा खेत में सफाई करने गई तब अप्रार्थीया आदम व उसके आदमियों ने आकर प्रार्थीया मुमा के कब्जें काश्त में दखल पैदा करनी शुरू की तथा अप्रार्थीया आदन ने धमकी दी कि यह मेर खेत है तेरे पति गुलाम हुसैन ने यह खेत मुझे दान में दिये है व तेरा यंहा कोई अधिकार नही है तब प्रार्थीया ने पटवार हल्का गुन्दाउ से जानकारी ली। तब पता चला कि दान पत्र के जरिये प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 640, 505 , 626 की भूमि अप्रार्थीया आदन ने अपने नाम करवा ली है तब प्रार्थीया ने विवादित दान पत्रों की नकले व राजस्व अभिलेखों की नकले विभिन्न सरकारी कार्यालय से हासिल करनेकी कार्यवाही की। इस दरम्यान अप्रार्थीया आदन ने प्रार्थीया को धमकी दी की यह जमीन उसकी है तथा वह जमीनों को किसी भी व्यक्ति को बेचान कर देगी। तुम रोकने वाली कौन होती है। अब भी अप्रार्थीया एक व उसका अनुचित रूप से सहयोग करने वाले व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। बार बार एलानिया धमकी दे रहे है। अप्रार्थीया आदन की यह सारी कार्यवाही अवैध व विधि विरूद्व व अनुचित होने से उन्हें रोके जाने हेतु एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का अलग से पेश किया है।

अप्रार्थीया संख्या 2 व 3 के कार्यालयों में भूमि हस्तांतरण के दस्तावेजों का पंजियन करने व राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने के अधिकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है ताकि अप्रार्थीया एक उक्त दान पत्रों की आड़ में गलत इन्द्राज के आड़ में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि हस्तांरण करने की स्थिति में दस्तावेज का पंजियन व रेकर्ड इन्द्राज रोका जा सके ताकि वाद बाहुल्यता को रोका जा सके। इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जा रहा है। जो वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद का कारण दिनांक 27.01.2014 व 12.10.2018 को तब पैदा हुआ जब अप्रार्थीया आदन ने मुमा के पति गुलाम हुसैन से विधि विरूद्व तरीके से विवादित दान पत्रों का दस्तावेज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों वाला लिखा था तथा वर्ष 2019 में वर्षा के होने पर प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद प्रार्थीया अपनें खेत में फसल बुवाई करने गई तब अप्रार्थीया आदन ने खेती करने से प्रार्थीया को रोका व धमकी दी तथा बताया कि विवादित भूमि का दान पत्र का दस्तावेज गुलाम हुसैन ने उसके नाम करवा दिया है तथा जमीन की वह मालिक है एवं जब चाहे तब इसे बेचान कर देगी। तुम्हारा यहां कोई अधिकार नही है। तुम यहां से चली जाओ। अपने आदमियों से प्रार्थीया के साथ गलत व्यवहार करवाया, प्रार्थीया को यह वाद पेश करने की नौबत पैदा हुई।

उक्त तथ्यात्मक विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थीया का वादग्रसत आराजी में मुस्लिम विधि अनुसार टाईटल, स्वामित्व, अधिकार व आधिपत्य अभिलेख से भली भांति साबित है परन्तु अप्रार्थीया संख्या एक ने गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी दान पत्रों की आड़ में वादग्रस्त आराजी में अपना नाम रेकर्ड में दर्ज करा लिया है। जो निरस्त योग्य है। इस बाबत प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद में सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ठोस दस्तावेजी व अन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है।

अप्रार्थीया संख्या एक ने गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त आराजी अपने नाम रेकर्ड में दर्ज करवाई तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद प्रार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवाया है जो प्रार्थीया के विरूद्व शून्य होने से बेहसर है तथा निरस्त योग्य है। अगर ऐसे विधि विरूद दानपत्रों की आड़ किये गये इन्द्राजें के आधार पर अप्रार्थीया एक वादग्रस्त आराजी में प्रवेश करती है एवं प्रार्थीया को बेदखल करती है तो उसका ऐसा कृत्य प्रार्थीया के अधिकारों पर कुठाराघात व उनके अधिकारों का हनन है क्यों कि प्रार्थीया कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी में अपना हक प्राप्त करने की अधिकारीणी है तथा प्रार्थीया के पति द्वारा अप्रार्थीया संख्या एक के पक्ष में अपने हक से अधिक हक का अर्थात सम्पूर्ण भूमि का दान गैर कानूनी होन से निरस्त योग्य है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में होने के कारण अगर प्रार्थीया को वादग्रसत आराजी से विधिक प्रकिया अपनाये बिना जबरदस्ती बैजा ताकत के जार पर अप्रार्थीया एक द्वारा बेदखल किया जाता है या वादग्रस्त आराजी किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित की जाती है तो गरीब अनपढ, विधवा महिला के साथ घोर अन्याय होगा एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता को बढावा मिलेगा। जिससे प्रार्थीया को भारी मानसिक व शारीरिक संताप के साथ साथ भारी कानूनी क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति धन से नही की जा सकेगी। अतः अपूरणीय क्षति का तत्व भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 1908 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निर्णय होने तक प्रार्थीया के अधिकारों का सरक्षण करने हेतु ग्राम सेडिया के खसरा नम्बर 505 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 523 रकबा 8.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 640 रकबा 2.70 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थीया के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि :–

प्रार्थीया की उक्त खसरा नम्बर 505, 526 व 640 वाके मौजा सेडिया की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जाकाश्त में अप्रार्थीगण न तो स्वयं तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति संस्था, नोकर, प्रतिनिधि, एजेंट, ठेकेदार ईत्यादि के द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप, अवरोध, बेदखली निर्माण, इत्यादि का कार्य नही करें

वादग्रस्त उक्त आराजी वाके ग्राम सेडिया के खसरा नम्बर 505, 526 व 640 का बैचान, हस्तांतरण, रहन, दान, वसियत इत्यादि का दस्तावेज उपपंजियक सांचोर के सामने पंजियन हेतु न तो अप्रार्थी संख्या एक स्वयं पेश करे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति से पेश करावे तथा उप पंजियक कार्यालय सांचोर उक्त आराजी का हस्तांतरण से सम्बंधित दस्तावेज पेश होने पर पंजियन हेतु ग्रहण नही करे तथा न ही उसका पंजियन करें इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार सांचोंर या उसका प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

आराजी से संबंधित राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे तथा राजस्व अभिलेखों की प्रविष्ठियों को वाद के निर्णय तक यथावत कायम रखे।

तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या एक ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या एक गलत होने से अस्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीया आदन को प्रार्थीया स्वयं ने दान देने वाले गुलाम हुसैन की बहिन होना स्वीकार किया है। प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या दो गलत होने से अस्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि विवादित भूमि दान देने से पुर्व राजस्व रेकर्ड में गुलाम हुसेन के नाम दर्ज थी। प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में काश्तकारों के उतराधिकार के बारे में यह प्रावधान किया गया है किसी भी अभीधारी के निंवसीयती मर जाने पर उसकी जोत का हित उसके स्वीयविधि के अनुसार अंतरित होगा। प्रार्थीया ने इस पैरा में अपने स्वयं एवं गुंलाम हुसैन को मुस्लिम होना स्वीकार किया है। मुस्लिम स्वीयविधि (शरीयत) अधिनियम 1937 की धारा 2 के प्रावधान के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया पर मुस्लिम विधि लागू होती है। मुस्लिम विधि में दान संबंधित प्रावधान के अनुसार कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी सम्पूर्ण संपति दान में दे सकता है और इस सम्बंध में उसके उपर मुस्लिम विधि द्वारा कोई प्रतिबंन्ध नही है। मुस्लिम विधि में विरासत के सम्बंध में यह प्रावधान किया गया है कि हिन्दू विधि के विपरित विधि के अन्तर्गत पैतृक व स्वयं अर्जित सम्पति के बीच में कोई भेद नही किया जाता है। एक मुसलमान को प्राप्त सभी सम्पति चाहे वह उसके स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो या दान में प्राप्त हुई हो। उसकी व्यक्तिगत सम्पति मानी जाती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में दान देने वाले गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन द्वारा मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार अपनी सगी बहिन आदन को विवादित सम्पति का अंतरण जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से किया गया है। विवादित भूमि का अंतरण गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन द्वारा अपने जीवन काल में अपनी सगी बहिन के नाम जरिये दानपत्र के किया गया है जिसमें प्रार्थीया का कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

विधिक अधिकार नही बनता है जब प्रार्थीया का अंतरण की गई सम्पति में कोई विधिक अधिकार नही बनता है तो प्रार्थीया के पक्ष में खातेदारी घोषणा के दावे का कोई वादकरण उत्पन्न नही होता है। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार वादकरण के अभाव में प्रार्थीया का मूल दावा काबिल खारीज है। प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि मुस्लिम विधि में विरासत सम्बधी प्रावधान के अनुसार विवादित सम्पंति गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन की निजी संपति है। मुस्लिम विधि के दान संबंधि प्रावधान के अनुसार गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन को सम्पूर्ण सम्पति का दान करने का विधिक अधिकार प्राप्त था। प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन द्वारा अपने जीवन काल में अपनी सम्पति का अंतरण अपनी सगी बहिन आदन के नाम जरिये दानपत्र किया गया है जिसमें प्रार्थीया को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा लाने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 6, 7, 8, 9, 10 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 11, 12, 13 गलत होने से अस्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि मुस्लिम विधि के प्रावधान के अनुसार विवादित संपति में प्रार्थीया का कोई कानूनी हक हिस्सा नही है। विवादित संपति में दावा लाने का प्रार्थीया का कोई अधिकार नही होने से व प्रार्थीया के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नही होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नही है। मुस्लिम विधि के प्रावधान के अनुसार ही मृतक गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन द्वारा दान पत्र अपनी सगी बहिन आदन के पक्ष में संपादित किया गया है जो विधि सम्पत होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नही है। प्रार्थीया के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नही होने के कारण अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष का नही है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रार्थीया के पक्ष में नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मुस्लिम विधि के विरासत एवं दान संबंधि प्रावधान के विपरित होने से मय खर्चा खारीज करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस निम्न नजीर/दस्तावेज का उभय पक्षकारों द्वारा पेश किये गये:–

- Supreme court of india civil Appeal No 603 of 2009 Rasheeda khatoon V/S Ashiq Ali.
- Supreme court of india Civil Appeal No 1740 of 2005 Hafeeza Bibi & Ors V/S Shaikh Farid (Dead) By Lrs & Ors on 5 may 2011.
- Supreme court of india Civil Appeal No(s) 800 of 2013 Mayana Gulab jan V/S Mayana Saheb Khan on 2 May 2018.
- DNJ 2014(sc) 2014 page No 932 Civil Appeal No 2364 of 2005 Sreeramachandra Avadhani V/S Shaik Abdul Rahim.
- Madhya Pradesh Haigh Court Rasheed khan V/S Sheikh Kabir on 24 April 2017.
- RRD march 2005 Page No 183 Ibrahim V/S Indrsingh.
- DNJ 1996 Page No 12 Civil Rivison No 555 of 1995 Decided on 06 Oct 1995 Sarpanch GramPanchyat V/S Meghe & Ors.

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला**

   प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित है प्रार्थीया के पति साले मोहम्मद के विरासत में मिली सम्पति का अपने जीवनकाल में दान (हिबा) अपनी बहिन के नाम कर दिया है। विवादित आराजी में प्रार्थीया के मुस्लिम विधि के अनुसार स्वतः हिस्सा होने से प्रार्थीया के हक हिस्से तक अवैध व शून्य है। अतः अप्रार्थीया आदन को खसरा संख्या 505, 526, 640 वाके ग्राम सेडिया का बैचान, हस्तांतरण, रहन, दान, वसियत इत्यादि न करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

किया जावे। अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार मुस्लिम स्वीयविधि (शरीयत) अधिनियम 1937 की धारा 2 के प्रावधान अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया पर मुस्लिम विधि लागू होती है। मुस्लिम विधि पर पैतृक ओर स्वअर्जित सम्पति में कोई भेद नही किया गया है। गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन द्वारा मुस्लिम विधि के प्रावधान के अनुसार अपनी सगी बहिन आदन को अपने जीवन काल में सम्पति का अंतरण जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र किया गया है। गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन को अपनी सम्पति का दान (हिबा) करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त था। अतः दान पत्र विधि अनुरूप सम्पन्न होने से प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु ये है कि गुलाम हुसैन उर्फ हुसैन को अपने जीवन काल में दान (हिबा) करने का अधिकार था या नही है एवं किया गया दान (हिबा) प्रकरण में विधिक रूप से मान्य है अथवा नही। जंहा तक दान अथवा हिबा का प्रश्न है मुस्लिम विधि में स्पष्ट रूप से हिबा का प्रावधान किया गया है एवं कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी सम्पूर्ण सम्पति का हिबा कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी विवादित आराजी का हिबा गुलाम हुसैन द्वारा अपनी बहिन आदन के पक्ष में अपने जीवन काल में किया जा चुका है एवं हिबा करने के साथ ही सम्पति का हस्तांतरण अप्रार्थीया आदन के पक्ष में हो चुका है चूंकि सम्पति का अंतरण मुस्लिम विधि से हो चुका है जिसके उपरांत प्रार्थीया का कोई स्वत्व सम्पति पर शेष नही रहता है । हिबा करने वाले की **अर्हताओं** में सम्पति पर स्वामित्व को छोड़कर यथा हिबा करने वाले की मानसिक स्थिति पर कोई उज्र नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के हक में कयास न आकर अप्रार्थीया आदन के हक में कयास आता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :–**

जंहा तक उक्त बिन्दुओं का प्रश्न है मुस्लिम विधि के अनुसार हिबा द्वारा किया गया सम्पति का अंतरण विधि अनुरूप होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के हक में कयास नही आता है सम्पति पर अधिकार शेष नही होने एवं सम्पति का अंतरण होने के बाद अप्रार्थीया को उसके बैचान, रहन आदि

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested

का पूर्ण अधिकार होने से भी अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के हक में सिद्व नही होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति में से कोई भी बिन्दु प्रार्थीया के हक में सिद्व नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज करने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.08.2020 को सुनाया गया।

25.8.2020

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.08.31 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested